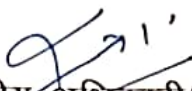


राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र
रा.प्र.क.202503220300045 / अ-62 / वर्ष 2024-25

(1)	(2)	(3)
24.04.25-	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक महेश राम पिता बैसाखू राम जाति कुमार निवासी ग्राम भैसातरा, तहसील व जिला-गरियाबंद द्वारा ग्राम भैसातरा, प.ह.नं. 22, तहसील-गरियाबंद खसरा नम्बर 32, 33/1, रकबा कमशः 0.08हे., 0.08हे. भूमि में स्थित 5 साल, 2 मुंडी, प्रजाति के वृक्षों के काटने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रकरण में राजस्व निरीक्षक एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी से संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रकरण का अवलोकन किया गया। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 01.01.2025 को प्राप्त हुआ। राजस्व निरीक्षक बिन्द्रानवागढ़ एवं सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी गरियाबंद के संयुक्त प्रतिवेदन मय काटे जाने वृक्ष का विवरण (प्रपत्र अ,ब,स) तथा आवेदक महेश राम पिता बैसाखू राम के आवेदन एवं कथन का परिशीलन करने उपरांत मुझे यह समाधान होता है कि ग्राम भैसातरा, प.ह.नं. 22, तहसील-गरियाबंद खसरा नम्बर 32, 33/1, कमशः 0.08हे., 0.08हे. भूमि में स्थित 5 साल, 2 मुंडी, प्रजाति के वृक्षों का विवरण राजस्व अभिलेख (बी-1, खसरा) में नहीं है तथा पटवारी द्वारा प्रारूप-ख (नियम 6(2)) में वृक्षों के पंजीयन हेतु प्रस्तुत प्रपत्र में कार्यालय तहसील गरियाबंद की प्राप्ति का उल्लेख भी अंकित नहीं है। अतः मेरा यह समाधान हो जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित वृक्षों को राजस्व अभिलेख में आज दिनांक तक दर्ज नहीं किया गया है। राजस्व निरीक्षक तथा सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी-1/खसरा) के अवलोकन के आधार पर खाते में स्थित वृक्षों का विवरण दिया गया है जबकि प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आवेदक के बी-1/खसरा में किसी भी प्रकार के वृक्ष का विवरण उल्लेखित नहीं है और न ही तहसील कार्यालय के पंजीयन पंजी की प्रति प्रस्तुत है। आवेदक द्वारा	

आवेदित भूमि खसरा नम्बर 32 आवेदक को शासकीय अहस्तातरणीय पट्टे पर प्राप्त हुई है। आवेदक द्वारा अपने कथन में आवेदक महेश राम पिता बैसाखू ने अपने कथन में कृषि कार्य हेतु बैंक ऑफ बडौदा से कर्ज लिया जाना तथा उक्त कर्ज को पटाने हेतु आवेदित वृक्षों की कटाई किया जाना आवश्यक होना लेख किया है। इस प्रकार आवेदक द्वारा प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की कटाई आय अर्जन हेतु किया जा रहा है, जिससे वृक्षों की कटाई अपरिहार्यता के संबंध में समाधान नहीं होता।

प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि आवेदक महेश राम पिता बैसाखू राम के आवेदन में उल्लेखित खसरा नम्बर 32, 33/1 ग्राम भैसातरा, प.ह.नं. 22, तहसील-गरियाबंद में स्थित वृक्षों के संबंध में विवरण राजस्व अभिलेखों में नहीं है न ही वृक्षों को काटे जाने की अपरिहार्यता है। अतः प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित काटे जाने वृक्षों की अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाता है। प्रकरण नस्तीबद्ध होकर दाखिल दफ्तर हो।


अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
गरियाबंद